कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड

विवरणिका
(Brochure)

एल–एल0एम0 – प्रवेश परीक्षा – 2017

<u>ऑनलाइन आवेदन</u>
एल–एल0एम0 – प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश
आवेदन शुल्क ₹700 + बैंक कमीशन

आवेदन पत्र भरने एंव शुल्क जमा करने हेतु प्रारम्भ तिथि	05.05.2017
शुल्क जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	31.05.2017
आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	02.06.2017

<u>निर्देश</u>

1. एल–एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में दिये गये निर्देशों का भली प्रकार पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें।

2. एल–एल0एम0 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क (₹700+बैंक शुल्क) बैंक में जमा कर भरे जायेंगे।

3. वर्ष 2017 में एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

3.1 प्रवेश परीक्षा तिथि 02 जुलाई, 2017 (रविवार) को निर्धारित है। एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे–

प्रथम प्रश्न–पत्र (एलएलएम–1) कुल अंक– 100 <u>समय 1:30 घण्टा (90 मिनट)</u>

प्रश्न–पत्र का नाम– मौलिक विधि (भा0द0सं0, अपकृत्य विधि, संविदा विधि, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि।)

द्वितीय प्रश्न–पत्र (एलएलएम–2) कुल अंक– 100 <u>समय 1:30 घण्टा (90 मिनट)</u>

प्रश्न–पत्र का नाम– विधिशास्त्र एवं भारतीय संविधान

पृथक–पृथक प्रश्न पत्रों में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा। परन्तु यह भी कि प्रवेश परीक्षा कराना अथवा न कराने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3.2 यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनायें तथा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है तो उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही अकृत्य एवं शून्य माना जायेगा और जिस समय भी यह तथ्य उद्घटित होंगे उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

3.3 प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पश्चात् नियत तिथि से एवं समय पर प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र पर उपस्थित होकर समय से स्थान ग्रहण करना आवश्यक है क्योंकि परीक्षा से पहले कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी होगी और परीक्षा सम्बन्धी निर्देश दिये जायेंगे।

3.4 प्रवेश के लिए योग्यता क्रम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को विश्वविद्यालय एवं विधि संकाय सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा और इसकी सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी।

3.5 प्रवेश परीक्षा के लिए वरीयता सूची परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर बनायी जायेगी।

3.6 आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर प्रिंट आउट (Print out) को वांछित प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं की प्रतियों के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय को केवल पंजीकृत डाक से कुलसचिव (मान्यता), कुमाऊँ विश्वविद्यालय,नैनीताल के पते पर भेजे जायेंगे।

3.7 उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका समाधान हेतु संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष विधि सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा अथवा कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से सम्पर्क किया जा सकता है।

3.8 प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये अभ्यर्थी का अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

4. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 02.06.2017 है।**

ऑनलाइन आवेदन

(एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश)

1. **<u>प्रवेश प्रक्रियाः</u>** कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित एल–एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।

2. <u>**प्रवेश–परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रताः**</u>

2.1. एल–एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को एल–एल0बी0 परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत (49.99 प्रतिशत मान्य नहीं) अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

2.2. **एल–एल0बी0 अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी एल–एल0एम0 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन एल–एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश की तिथि को अभ्यर्थी का एल–एल0 बी0 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**

2.3. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.4. कोई भी प्रवेशार्थी 2015 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2016 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

2.5 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है तो उसे प्रवेश आवेदन पत्र शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3. <u>**प्रवेश में आरक्षणः**</u>

3.1. श्रेणी/आरक्षण हेतु जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हों कृपया दिये गये कॉलमों में अंकित करें। आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थी अपना मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न कर प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र के अभाव में उस श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है।

3.2 सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। छायाप्रति के अभाव में प्रवेश के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

क–	1.	अन्य पिछड़ा वर्ग–	O.B.C.	14 प्रतिशत
	2.	अनुसूचित जाति–	S.C.	19 प्रतिशत
	3.	अनुसूचित जन जाति–	S.T.	04 प्रतिशत

केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण–पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा जो केवल उत्तराखण्ड के निवासियों को ही देय होगा–

ख–

1. विकलांग Handicapped – 03 प्रतिशत
2. महिला Women – 30 प्रतिशत शासनादेश के अनुसार
3. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) Ex-Army – 02 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित– Dependent of Freedom Fighter – 02 प्रतिशत

<u>4. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2017–18 में एल–एल0एम0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्या:</u> वर्तमान में विधि विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय, परिसर अल्मोड़ा में एल–एल0एम0 कक्षा संचालित की जाती है, जिसमें प्रवेश हेतु कुल 20 सामान्य एवं 20 स्ववित्तपोषित रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

<u>5. प्रवेश–परीक्षा शुल्क:</u> ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क **₹ 700 तथा बैंक शुल्क (₹ 700+बैंक शुल्क)** है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के आई–कलैक्ट के माध्यम से किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये लिंक के Home Page में जाकर Pay Fee के माध्यम से करना होगा। **।**

बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही 48 घण्टे बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होगा। **आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

<u>6. प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदन:</u> सत्र 2017–18 की प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

<u>7.</u> ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps) निहित हैं–

<u>पद – 1</u>: उचित पाठ्यक्रम (बी0एड0/एम0एड0/एल–एल0बी0/**एल–एल0एम0**) का चयन।

<u>पद – 2</u>: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन।

पद – 3: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए [Pay Fee] लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना।

पद – 4: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक [Apply Online] में उल्लिखित बैंक द्वारा दिये गये रिफरेन्स नम्बर तथा जन्मतिथि की सहायता से जाना तथा आवेदन–पत्र भरना।

पद – 5: [Upload Image] करते हुए अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात Submit करना। यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करना। एक बार दी गई जानकारी को **Confim** करने के पश्चात् कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा

पद – 6: [Print Application] लिंक पर जाकर अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करना।

(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की एक प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा एक प्रति समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रेषित करेगा।

उपरोक्त छः पदों में निहित गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं –

पद–1: पाठ्यक्रम का चयन, : विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश–आवेदन हेतु पाठ्यक्रम (बी0एड0 / एम0एड0 / एल–एल0बी0 / **एल–एल0एम0**) का चयन किया जायेग।

पद – 2: निर्देशिका का अध्ययन व मुद्रण: विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में बी0एड0 पाठ्यक्रम में आवेदन हेतु दिये गये लिंक में प्रवेश–परीक्षा प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों सम्बन्धी यह विवरणिका (Information Brochure) दी गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को डाउनलोड कर भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा इसका मुद्रण कर अपने पास सुरक्षित रखें।

पद – 3: आवेदन शुल्क जमा करना: अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Pay Fee वाले Option में जाकर आवेदन–शुल्क (रु0 700+बैंक शुल्क) जमा करेगा, जिस हेतु उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की I-Collect सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान अथवा इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट / डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। **शुल्क जमा किये जाने की रसीद को अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले।**

पद – 4: परीक्षा–आवेदन पत्र को भरना: शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क प्राप्ति का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें 48 घण्टे (दो दिन) का समय लग सकता है।

विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति के सत्यापन के पश्चात ही अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Apply Online वाले Option में जाकर अभ्यर्थी बैंक द्वारा दिया गया रिफरेन्स नम्बर DUxxxxxxxx तथा जन्मतिथि (YY/MM/DD) का प्रयोग करते हुए आवेदन पत्र को भरेगा।

पद – 5: अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना: अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए लिंक [Upload Image] की सहायता से अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का **फोटो** तथा **हस्ताक्षर** अपलोड करेगा।

पद – 6: फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँचने के पश्चात् Submit करेगा। यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करेगा तथा आवेदन पत्र को प्रिंट [Print] करेगा। एक बार **Confim** करने के पश्चात कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

तत्पश्चात् अभ्यर्थी को एक रजिट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर तथा ई मेल में दिया जायेगा, जिसको अभ्यर्थी आवेदन पत्र को दोबारा प्रिंट करने तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रयोग करेगा एवं हेतु सुरक्षित रखेगा।

(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की एक प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा एक प्रति समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित कुलसचिव (मान्यता), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, मल्लीताल, नैनीताल के पते पर निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा।

9. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:

9.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

9.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा, आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों/वेबसाइट पर दी गई तिथि के उपरान्त अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

9. प्रवेश–परीक्षा हेतु केन्द्रः एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा 2017 के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित केन्द्र बनाया गया है –

1. एस0एस0जे0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

10. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँः अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रस्तावित तिथियों को नोट करें –

क्रमांक	विवरण	प्रारम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1.	आवेदन प्रक्रिया हेतु तिथि	05.05.2017	02.06.2017
2.	ऑनलाईन शुल्क जमा करना	05.05.2017	31.05.2017
3.	आवेदन पत्र भरना	07.05.2017	02.06.2017
4.	आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित ऑनलाइन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में पहुँचने की अन्तिम तिथि	10.06.2017	
5.	प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने की तिथि	24.06.2017	02.7.2017
6.	परीक्षा तिथि	02.07.2017	

11. परीक्षा परिणाम की घोषणाः प्रवेश–परीक्षा सम्पादित होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

12. कक्षाओं में प्रवेश/काउन्सिलिंगः

12.1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एल–एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी। एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

12.2. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निधारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

12.3. काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय निम्न प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है –

अ – हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र
ब – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र
स – स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा अन्य **अर्हता परीक्षा** की अंक तालिका
द – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)
य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

13. अन्य निर्देशः

13.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

13.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति जाँच हेतु विश्वविद्यालय को भेजना तथा मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ठ परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

13.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

13.4 किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

नोटः– आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप (एल–एल0एम0 हेतु)

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील..जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल भाासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री श्री..निवासी ग्राम...................................तहसील....................................... जिला...उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम...तहसील.....................................जिला.........................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री...की जांच आख्या................. पर जारी किया गया है।

स्थान...........................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक........................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

<u>प्रमाण–पत्र III (विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील...जनपद... उत्तराखण्ड राज्य के विकलांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक................................ **हस्ताक्षर सील सहित**

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

प्रमाण–पत्र IV (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री / श्रीमती / कु0.. आत्मज / आत्मजा श्री.. प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 ....इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

दिनांक................................ **हस्ताक्षर सील सहित**

ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>प्रमाण–पत्र v (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री...भूतपूर्व सैनिक ने...के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक..............................   **हस्ताक्षर सील सहित**

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती...आत्मज / आत्मजा श्री..शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री / श्रीमती / कु0...इनके पुत्र / पुत्री / पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VIII (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आत्मज / आत्मजा श्री...विभाग.......................................पद...पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक................................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 /

एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

****